भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

20000

Rs. 20000 Rs.　　Rs. 20000 Rs.

00CC 817611

कीमत भवन	रू०	४,१०,०००/-
फ्रीहोल्ड	रू०	१,७८८/-
कुल योग	रू०	४,११,७८८/-
स्टाम्प	रू०	४२,०००/-

विकय पत्र

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का स्वामित्व हस्तान्तरण किये जाने हेतु यह अनुबन्ध सन् १९९९ ई० के माह फरवरी दिनांक ४-२-१९९९ को जिसको एतदपश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है तथा चड्ढा ब्रास लि० द्वारा प्रबन्ध निदेशक श्री सरदार हरभजन सिंह चड्ढा पुत्र श्री गुर बचन सिंह निवासी सिविल लाइन्स, मुरादाबाद जिसको एतदपश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया है ।

17/3/99

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

Rs 20000 रु.

Rs 20000 रु.

00CC 817612

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भवन द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ है आगे अभिव्यक्त अधिकारो एवम शर्तो के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भवन का स्वामित्व रु० ४,१०,०००/- चार लाख दस हजार रुपये मात्र के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जाना है

और चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भवन सं० एम० आई० जी० न० १५ मधुवनी आवासीय योजना, मुरादाबाद का स्वामित्व आवासीय हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है ।

और चूँकि जनपद मुरादाबाद की महायोजना / आस पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भवन का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है ।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भवन का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट / आसपास की भूमि के भू उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

2/3/99

उपसचिव

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

1000Rs.

भारतीय गैर न्यायिक

१००० रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

A-98 49122

-3-

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास परिषद अधिनियम १९७३ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ सपठित एवं शासन देश सं० १६३९/९ - आ - १-९५-८० मिस / ८६ दिनांक १० मई १९९५ तथा शासन देश सं० १७७८/९आ -९५-८० मिस /८६ दिनांक २४/५/१९९५ के अनसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में घोषित किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रू० ४,१०,०००/- केवल दिनांक ८-१२-९४ तक किये गये भुगतान जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष एतत्दवारा स्वीकार करता है के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओ और शर्तो जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतदद्वारा यह सब भूखण्ड उसकी सीमाओ सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची मे दिया गया है और स्पष्टीकरण के लिये उस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है फ्रीहोल्ड घोषित करते है और इस पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं । अतएव द्वितीय पक्ष उसके दायाधिकारी तथा समानुदेशित सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे

उपसचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

1000Rs.

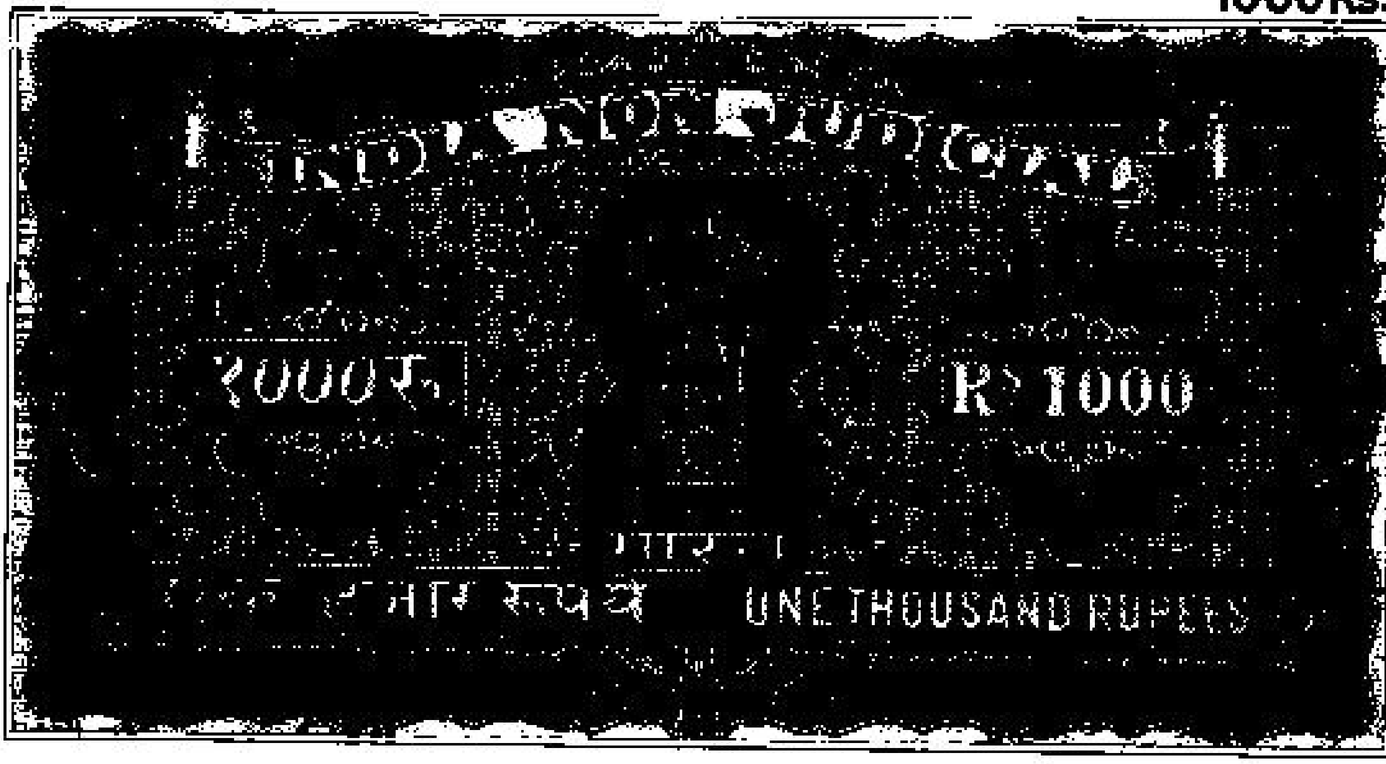

A-98 49121

-4-

इस विलेख के निष्पादन की दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भवन पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमो के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा । भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य मे लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा ।

इस विलेख से उत्पन्न एवं इससे सम्बन्ध मे या इसके विषय पर दोनो पक्षों या उनके दावेदारो के बीच कभी भी कोई विवाद , मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विकास विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा तथा दोनों पक्षो पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगो से असंगत न हो प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके उत्तराधिकारियो निष्पादको , प्रबन्धको प्रतिनिधियो एवं समनुदेशितियो का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

17/3/99

उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये है जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं ।

इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भवन सं० एच० आई० जी० १५ मधुवनी आवासीय योजना, मुरादाबाद जिसका रकवा ११२-५० वर्ग मीटर जिसकी चौहददी निम्न प्रकार है:-

पूर्व	:-	एच० आई० जी० १४
पश्चिम	:	एम० आई०जी० १६
उत्तर	:	सड़क ९ मीटर चौड़ी
दक्षिण	:-	अन्य भूमि

फ्रीहोल्ड के लिये द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि ९,७,८८/- दिनांक ८-१२-९४ तक कैनरा बैंक, मुरादाबाद में जमा कर दी है

यदि भूमि प्रतिकर बढ़ता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा ।

17/3/99

उपसचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद
की ओर से तथा उनके द्वारा
प्राधिकृत

नाम :- श्री सरदार हरभजन सिंह चड्ढा पुत्र श्री गुर बचन सिंह
प्रबन्ध निदेशक चड्ढा ब्रास लि०,
निवासी सिविल लाइन्स, मुरादाबाद

साक्षी सं० १ श्री सुशील कुमार पुत्र श्री राम कृष्ण
निवासी बुद्धि विहार, मुरादाबाद

साक्षी सं० १

साक्षी सं० २ श्री सतीश कुमार रस्तौगी एडवोकेट
निवासी दिनदारपुरा, मुरादाबाद

साक्षी सं० २

स्टाम्प डियूटी के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष 'केता' का होगा तथा प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा ।

यह बयनामा सन्तोष कुमार अग्रवाल , यूनिटी इलैक्ट्रोनिक्स , कोर्ट रोड मुरादाबाद ने टाइप किया ।